(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 598–पीबीआर/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 285/1995–96/अपील.

नारायण सिंह सैंगर पुत्री श्री जयेन्द्र सिंह सेंगर
निवासी हाल केफे हाउस, पाटनकर बाजार,
लश्कर ग्वालियर

——— आवेदक

विरूद्ध

श्री घनश्याम सिंह पुत्र श्री जयेन्द्र सिंह
निवासी 86 एफ सादिकावाद छिन्दवाड़ा
रोड, नागपुर महाराष्ट्र

——— अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 29–10–2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक ने ग्राम पुराआवाद के सर्वे कमांक 67, 86, 96 एवं 102/106 किता 4 कुल रकवा 6.398 के नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक ने पंजी कमांक 25 पर दिनांक 10–10–84 को आदेश पारित किया। अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के समक्ष इस आधार पर अपील प्रस्तुत की गई कि पटवारी द्वारा राजस्व निरीक्षक के आदेश के पश्चात अन्य वारिसानों के नाम बढ़ा दिये गये हैं। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25–6–90 अपील स्वीकार

करते हुये राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित नामांतरण आदेश को उचित मानकर यथावत रखा। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक घनश्याम द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 29–10–2001 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समस्त आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा रिकार्ड के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया।

4/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी पर पूर्व में नारायणसिंह का नाम अंकित किया था उसके बाद अन्य व्यक्तियों का नाम जोड दिया गया। वारिसान के पंजी पर हस्ताक्षर भी नहीं है और न ही किसी प्रकार की सूचना पत्र जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में वसीयत भी संदेह से परे सिद्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में दूषित नामांतरण प्रकिया को पाते हुये अपर आयुक्त ने प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किये जाने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 29–10–2001 स्थिर किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर